



फार्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }
Form III { see Regulation 7 (1) D (d) }

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. ईएम एससी/एल - 7000027.5

Licence No. EMSC/L- 7000027.5

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो *मे. न्युक्लीअर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काकरापार अटॉमिक पावर स्टेशन (केएपीएस) पी. ओ अनुमाला, व्हाया व्जारा, सुरत - 394 651* को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस **नवीकरण** है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा *आई एस/ आई एस ओ 14001:2004* के अनुरूप पर्यावरण प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/प्रचालित किए जाएंगे।

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby renews to: *M/s Nuclear Power Corporation of India Ltd, Kakrapar Atomic Power Station (KAPS), P.O. Anumala, Via Vyara, Surat - 394 651* (hereinafter called the Licence) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Environmental Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be Manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Environmental Management Systems in accordance with *IS/ISO 14001:2004*.

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत **नवीकरण** है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is **renewed** subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

3. यह लाइसेंस **31 May 2015 से 30 May 2018** तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जासकेगा। This licence shall be valid from **31 May 2015 to 30 May 2018** and may be renewed as prescribed in the Regulations.

सन् दो हजार पंद्रह के अगस्त माह के चौथे दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and Dated this fourth day of August Two Thousand Fifteen

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

1